भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राजस्थान में परियोजनाएं

587. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत निधि के कुशल उपयोग और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित आंवटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नागौर सहित राज्स्थान के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नागौर सहित विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नागौर और अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त लक्ष्यों को कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निधियों के कुशल उपयोग और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग के साथ - साथ इस मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली के सहयोग से एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से इन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय में उच्च स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी भी की जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव समय-समय पर परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की परियोजना-वार समीक्षा करते हैं और मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को अंतिम रूप दिया जाता है।

माननीय जल शक्ति मंत्री, समय-समय पर पीएमकेएसवाई के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित बाधाओं और मुद्दों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों और बाधाओं को परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल पर चिह्नित किया जाता है और सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय की अध्यक्षता में होने वाली पीएमजी बैठकों में इनका निपटान किया जाता है।

(ख): प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक महतवपूर्ण योजना है जिसमें दो प्रमुख घटक अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। एचकेकेपी में चार उप-घटक (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास शामिल हैं। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप की शुरूआत के साथ, एचकेकेपी के उप घटक (कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम)) का एआईबीपी के साथ समानांतर कार्यान्वयन किया गया।

इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2021 में, भारत सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत भूजल घटक की मंजूरी केवल 2021-22 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों हेतु अस्थायी रूप से दी गई है, जिसे बाद में कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, प्रति बूंद अधिक फसल घटक, जो पहले पीएमकेएसवाई का एक घटक था, अब इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अलग से किया जा रहा है।

उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): राजस्थान के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में हुई प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(घ) और (ड): 2021-26 के लिए पीएमकेएसवाई 2.0 के कार्यान्वयन की स्वीकृति के बाद, 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली राजस्थान की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना नामत: पार्वन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को पीमएकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, राजस्थान की 11,880 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली 37 आरआरआर और 8 आरआरआर परियोजनाएं पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत पीएमकेएसवाई- एचकेकेके- आरआरआर के तहत शामिल की गई हैं। हालांकि, ये परियोजनाएं नागौर जिले को लाभान्वित नहीं करती।

*****

अनुलग्नक-।

"पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राजस्थान में परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

उक्त योजना के तहत राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आवंटित निधियां।

क. वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता

रू. करोड़ में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम**	**पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी (एसएमआई, आरआरआर, जी डब्ल्यू)**
1	आंध्र प्रदेश	91.81	2.70
2	अरुणाचल प्रदेश	-	578.50
3	असम	49.54	2350.14
4	बिहार	146.06	105.31
5	छत्तीसगढ	78.2	0.00
6	गोवा	3.84	0.00
7	गुजरात	6,252.95	85.98
8	हिमाचल प्रदेश	1,912.21	567.41
9	झारखंड	756.73	0.00
10	कर्नाटक	1,268.30	67.50
11	केरल	2.69	0.00
12	मध्य प्रदेश	1,125.67	0.00
13	महाराष्ट्र	2,873.76	0.00
14	मणिपुर	280.72	316.13
15	मेघालय	-	379.08
16	मिजोरम	-	46.58
17	नगालैंड	-	290.38
18	ओडिशा	1,340.82	104.89
19	पंजाब	1,106.58	0.00
20	राजस्थान	810.42	46.02
21	सिक्किम	-	95.90
22	तमिलनाडु	34.74	125.11

23	त्रिपुरा	-	52.63
24	तेलंगाना	1,017.83	59.68
25	उत्तराखंड	361.64	279.14
26	उत्तर प्रदेश	1,577.82	26.69
27	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	43.28	302.36
28	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	2.98	
29	पश्चिम बंगाल	-	0.00
	कुल	21,138.59	**5882.13**

ख. 2016-17 से 2023-24 तक पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी और पीडीएमसी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता

रू. करोड़ में

क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी**	**पीडीएमसी**
1	आंध्र प्रदेश	1512.10	2406.26
2	अरुणाचल प्रदेश	686.15	126.93
3	असम	951.91	164.03
4	बिहार	504.26	110.36
5	छत्तीसगढ	723.15	295.91
6	गोवा	33.575	3.34
7	गुजरात	1779.25	1888.34
8	हरियाणा	167.87	376.02
9	हिमाचल प्रदेश	486.53	114.25
10	झारखंड	506.32	217.69
11	जम्मू एवं कश्मीर	516.61	52.20
12	कर्नाटक	2308.63	2843.67
13	केरल	202.02	34.32
14	मध्य प्रदेश	2388.81	786.97
15	महाराष्ट्र	3267.63	2279.7
16	मणिपुर	298.45	213.20
17	मेघालय	332.30	30.30
18	मिजोरम	407.15	160.45

19	नगालैंड	721.02	284.22
20	ओडिशा	1545.15	337.46
21	पंजाब	108.92	19.93
22	राजस्थान	4099.91	1083.84
23	सिक्किम	74.61	279.87
24	तमिलनाडु	1105.38	2381.51
25	तेलंगाना	904.98	601.22
26	त्रिपुरा	303.34	58.77
27	उत्तराखंड	308.06	277.62
28	उत्तर प्रदेश	1156.88	917.02
29	पश्चिम बंगाल	481.38	201.9
30	अंडमान और निकोबार	-	0.61
31	पुदुचेरी	-	0.1
32	लद्दाख	67.01	3.4
	एचक्यू	-	239.41
	कुल	**27,949.36**	**18,791.82**

*****

अनुलग्नक-।।

"पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राजस्थान में परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नागौर सहित राजस्थान के विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई के घटक**	**हजार हेक्टेयर में**
1	एआईबीपी के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता	315.57
2	सीएडीएंउडब्ल्यूएम के अंतर्गत शामिल कृषि योग्य कमांड क्षेत्र	82.47
3	एचकेकेपी-एएएमआई के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता	0.45
4	एचकेकेपी-आरआरआर के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता	15.57
5	सुक्ष्म सिंचाई (पीडीएमसी) के तहत कवर किया गया क्षेत्र	543.28
6	सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत करवर क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में) (डब्ल्यूडीसी)	13.274

*****